<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> <u>समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय</u>

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 312/2013 संस्थित दिनांक—11.06.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—अंजड्, जिला बड्वानी म.प्र.<u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

- लाला उर्फ लालिसंह पिता डोंगरिसंह, आयु–23 वर्ष, जाति बारेला, निवासी गायबयड़ा मोहल्ला, अंजड़, जिला बड़वानी
- डोंगरिसंह पिता नहारिसंह, आयु-54 वर्ष, जाति बारेला, निवासी गायबयड़ा मोहल्ला, अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	– श्री व्हाय.एस. भाटी अधिवक्ता ।

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 13/04/2016 को घोषित)

- 1. आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 79 / 13 के आधार पर दिनांक 13.04.13 को रात्रि 8:00 बजे स्थान गायबयड़ा मोहल्ला अंजड़ में सीताराम को धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से मारकर स्वैच्छापपूर्वक उपहित कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा–324 का आरोप है ।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षी आरोपीगण तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।
- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.13 को रात्रि लगभग 8:00 बजे सीताराम अपने घर पर था, डोंगरसिंह ने उसे घर के सामने बुलाया तो अभियुक्त लाला अंदर से लकड़ी लेकर आया और उसे मॉ, बहन की अश्लील गालियां दी, उसने मना किया तो अभियुक्त ने उसे लकड़ी से मारा, डोंगरसिंह ने उसके बाल पकड़कर और लाला ने हाथ पकड़कर खींचकर उसके साथ मारपीट की । लाला ने कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारी तो उसके सीधे हाथ तरफ कमर के उपर एवं सीधे पैर के घुटने पर चोट आई । उसके चिल्लाने पर लाखन और मुकेश आये जिन्होंने बीच—बचाव किया, अभियुक्त लाला ने लाखन को भी कुल्हाड़ी मारी तो उसे उल्टे हाथ तरफ बगल में एवं पीठ पर चोट आई ।

अभियुक्त डोंगरसिंह ने भी उसे व लाखन को लात—मुक्कों से मारपीट की । मुकेश ने लाला से कुल्हाड़ी छुड़ाई, तो अभियुक्तों ने जान से मारने की धमकी दी । चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया था । उसे ईलाज के लिये अस्पताल ले गये थे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया जिसकी सूचना पुलिस थाना अंजड़ को दी, जिसकी जांच स.उ.नि. जगदीश कलमे द्वारा की जाकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/13 का दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग—पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

- 4. जक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर भा.द.सं. की धारा—294, 323/34, 324, 342, 506(बी) के आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा द.प्र.सं की धारा—313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फॅसाया गया है, फरियादी सीताराम को शराब के नशे में गिरने से चोटे आई थीं, किन्तु बचाव में अभियुक्तगण ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।
- 5. विचारण के दौरान आहत साक्षियों द्वारा अभियुक्तों से राजीनामा किये जाने के कारण अभियुक्तों को दिनांक 04.02.16 को भा.द.वि. की धारा—294, 323/34, 342 एवं 506(बी) के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया गया है तथा भा.द.वि. की धारा—324 के अंतर्गत विचारण है ।

6. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.04.13 को रात्रि 08:00 बजे स्थान गायबयड़ा मोहल्ला अंजड़ में आहत सीताराम को स्वैच्छापूर्वक धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से उपहति कारित की गयी ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

7. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षीगण सीताराम (अ.सा.1), लाखन (अ.सा.2) एवं स.उ.नि. जगदीश कलमें (अ.सा.3) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी सीताराम (अ.सा.1) का कथन है कि अभियुक्तगण उसके भतीजे हैं । 3 वर्ष पूर्व रात्रि में शराब के नशे में अभियुक्तों से उसका विवाद हो गया था, जिससे उसे कमर में चोट आई थी । उसका ईलाज अंजड़ अस्पताल में हुआ था, उसके पश्चात् उसे बड़वानी अस्पताल भेजा गया था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक—प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त ने उसके सीधे हाथ पर और कमर के उपर कुल्हाड़ी मार दी थी, जिससे उसे चोट आई थी । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.

पी.1 का कथन देने से और अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारने से स्पष्ट इन्कार किया है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से उसका राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तगण से राजीनामा होने से वह असत्य कथन कर रहा है । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के दिन वह शराब के नशे में गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी ।

- 9. साक्षी लाखन (अ.सा.2) ने भी अभियुक्तों द्वारा उसे और सीताराम को कुल्हाड़ी से मारने से स्पष्ट इन्कार किया है । साक्षी को पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इन्कार किया है और पुलिस को प्र.पी.2 के कथन में भी अभियुक्तों द्वारा कुल्हाड़ी से उनके साथ मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं देना बताया है ।
- 10. साक्षी स.उ.नि. जगदीश कलमे (अ.सा.3) का कथन है कि वह थाना अंजड़ में स.उ.नि. के पद पर पदस्थ था । उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे और जांच के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/13 प्र.पी.3 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने फरियादी लाखन की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने साक्षीगण लाखन, मुकेश एवं सीताराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । उसने अभियुक्त लाला के पेश करने पर कुल्हाड़ी एवं लकड़ी प्र.पी.7 के अनुसार जप्त की थी । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सीताराम ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध नहीं करायी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन उसने आहत साक्षियों से पूछताछ के बिना दर्ज की थी । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है और वह असत्य कथन कर रहा है ।
- 11. ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के आहत साक्षियों ने अभियुक्तगण से राजीनामा किया है और उनके विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये हैं तो अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—324 का अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है, वे किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराये जा सकते हैं और उनके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—324 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

12. उक्त विवेचना के फलस्वरूप अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण लाला उर्फ लालसिंह पिता डोंगरसिंह, आयु—23 वर्ष, जाति बारेला एवं डोंगरसिंह पिता नहारसिंह, आयु—54 वर्ष, जाति बारेला, दोनों निवासी गायबयड़ा मोहल्ला अंजड़ जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

- अभियुक्तगण का द.प्र.सं. की धारा—428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।
- प्रकरण में जप्त संपत्ति कुल्हाड़ी एवं लकड़ी मूल्यहीन होने से बाद 15. अपील अवधि नष्ट की जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.